



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 61(2)/316(5) बीएनएस में प्रकाश में आयी 03 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.25
को वादी श्री योगेन्द्र
सिंह पुत्र धर्मवीर
सिंह हाल प्रबंधक
सीएमएस मेरठ
निवासी तेजबिहार
रोहटा रोड थाना



कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-गौरव तोमर पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-रॉकी मलिक पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त 1.गौरव तोमर की माँ, 2. गौरव तोमर की पत्नी, 3-सौरभ पुत्र कुलदीप सिंह निवासीगण ग्राम अंगदपुर जौहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 4.रॉकी मलिक की मां, 5.रोहित पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस में प्रकाश में आयी 03 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

03 अभियुक्ता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-



- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-म0उ0नि0 गायत्री राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-म0उ0नि0 नीतू थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7-का0 775 मंजीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 8-म0है0का0 62 प्रीति थाना बडौत जनपद बागपत।
- 9-म0है0का0 457 सरला थाना बडौत जनपद बागपत।
- 10-म0का0 768 अन्जू लांबा थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना बिनौली दिनांक 13.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

बादल पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम शाहपुर बाणगंगा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी विवरण-

- एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 13.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही, जिसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

बरामदगी विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 573 बालकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 13.03.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 51/25 धारा 110/115(2)/351(3)
/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-03-2025 को थाना छपरौली पर वादी प्रविन्द्र शर्मा पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-अमर पुत्र ओमवीर, 2-अनिरुध पुत्र ओमवीर निवासी गण ग्राम



लुहारा थाना छपरौली द्वारा वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी, जिससे वादी के भतीजे को गंभीर

चोटें आयीं । इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु०अ०सं०- 51/25 धारा 110/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 51/25 धारा 110/115(2)/351(3)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-अमर पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-अनिरुध पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना छपरौली ।
- 2-उ०नि० श्री सुरेन्द्र कुमार थाना छपरौली ।
- 3-का० 976 लवकुश कुमार थाना छपरौली ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 13.03.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 91/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गयी साइकिल का फ्रेम व उसके खुले हुए पार्ट्स तथा पेंचकस, प्लास व रिंच बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.03.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री राम सिंह पुत्र श्री जय सिंह निवासी करबा खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके क्वार्टर के बाहर से एक साइकिल चोरी कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 91/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 91/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की गयी साइकिल का फ्रेम व उसके खुले हुए पार्ट्स तथा पेंचकस, प्लास व रिंच बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र गजे सिंह निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की गयी साइकिल का फ्रेम ।
- खुले हुए पार्ट्स ।
- पेंचकस, प्लास व रिंच ।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 491/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0स0 225/23 धारा 414 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0स0 91/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4-का0 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।